

प्रेषक: सरिता मित्तल
बी-31, महेन्द्रा एन्क्लेव,
शास्त्री नगर, गाजियाबाद

52160

पंजीकृत

22-7-22

सेवा में,

प्रबन्धक (सम्पत्ति)
ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं0-1, नौलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोयडा सिटी,
जिला गौतमबुद्ध नगर

R.T.I. 20857
P/O-PRD
25-7-22

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवासीय
भूखण्ड/बिल्टअप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आवंटित
भूखण्ड/भवन के सापेक्ष 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के
मद में देय धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।
मेरा आवंटन संख्या BHS 1191536 फ्लैट संख्या 563 GF
सैक्टर XU-01 ब्लॉक ई।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक सम्पत्ति/ BHS-11/2019/377 दिनांक 29.09.2019
एवं मेरा पत्र दिनांक 09.10.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकर करें। आपके पूर्व
पत्रांक BHS-11/2013/21 दिनांक 23.08.2013 द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की
रू0 1465/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी, जिसका मैंने लेट 15
प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि रू0 56829/- प्राधिकरण में जमा करा दिया
था।

तत्पश्चात आपके पत्रांक BHS-11/2019/377 दिनांक 29.09.2019
द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की दर दिनांक 01.05.2013 से संशोधित कर रू0
1287/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई। मेरे पत्रांक 09.10.2019 द्वारा